

उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

(विधि शाखा)

रेभेन्यु रिवीजन (Rev. Revision) वाद सं० :-01/2016-17

जितेन्द्र कुमार सिंह वगै०

बनाम

रेखा सिंह वगै०

अपीलार्थी बड़ाईक मनोहर कुमार सिंह पिता-स्व० अनन्त राय सिंह ग्राम-चेटर थाना-गुमला जिला-गुमला के द्वारा उप समाहर्ता भूमि सुधार गुमला के दाखिल खारिज अपील वाद सं०-03/2013-14 दिनांक-02.01.2016 में पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर रिवीजन दायर किया गया है।

अपीलार्थी के Rev. Revision पर सुनवाई प्रारंभ करते हुए उत्तरवादीगण को पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

अपीलार्थी बड़ाईक मनोहर सिंह के मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्रगण को इस वाद में पक्षकार बनाने हेतु आवेदन समर्पित किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि दिनांक 26.06.2020 को उभय पक्षों द्वारा सुलहनामा आवेदन समर्पित किया गया है जिसके मुताबिक अपीलार्थी का रिवीजन वाद को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। चूंकि इस वाद में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में निम्न अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध दायर मामले का पुनरीक्षण किये जाने का प्रावधान है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में निम्न न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि उभय पक्षों द्वारा समर्पित सुलहनामा आवेदन की समीक्षा कर नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु वाद Remand किया जाता है।

आदेश की प्रति निम्न अपीलीय न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ वापस भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

19.01.23
उपायुक्त,
गुमला

19.01.23
उपायुक्त,
गुमला